न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
02/194/2020

तारीख दायर
04.12.2020

तारीख निर्णय
29.03.2022

1–सूरज पुत्र श्री हरबल जारी निवासी नयाबास शहर अलवर तहसील व जिला अलवर राज

––प्रार्थी

बनाम

1–लक्ष्मण पुत्र श्री लादू जाति मी निवासी नयाबास शहर अलवर राज0

2 गीता मीणा धर्मपत्नि श्री कैलाश चन्द मीणा जाति मीणा

3–कैलादेवी पत्नि ग्रामसिंह जाति मीणा निवासीयान ग्राम रूपबास तहसील व जिला अलवर

––असल अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: निर्णय :

वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ प्रा0प्रत्र 212 राज0 काश्त0 अधि0 पेश किया। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर आराजी हाल खसरा नम्बर–1450 रकबा नगर 1451 रकबा 66 ऐयर, 1475 रकबा 69 ऐयर, 1479 रकबा 57 ऐयर, 187 रकबा 85 ऐयर 1500 रकबा 76 वाके ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर सं.2020 से पूर्व मूल खातेदार श्री कालू थे जिनके दो पुत्र चन्दर व बुद्वा हुए तथा श्री कालू के स्वर्गवास के पश्चात कालू के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी का विरासत उनके दोनो पुत्र चन्दर व बुता के नाम बहिस्सा बराबर बराबर 1/2 – 1/2 भाग दर्ज व स्वीकार की गई तथा उसके बाद से व आज तक उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा काश्त करते चले आ रहे है।चन्दर मरने के पश्चात चन्दर का विरासत इन्तकाल उसकी बेवा पत्नि श्रीमति इसरी के नाम स्वीकार किया गया था ओर बुद्धा के मरने के बाद उनकी विरासत इंतकाल उसके पुत्र लादू के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया था। इसरी के मरने के बाद बुद्वा द्वारा चालाकी पूर्वक इसरी का स्वंय ने विरासत इंतकाल अकेले स्वंय के नाम दर्ज व स्वीकार करा लिया था जबकि बुद्धा को स्वंय के पिता के हिस्से 1/2 हिस्से की आराजी का ही इंतकाल दर्ज व स्वीकार करना चाहिए था तथा इंतकाल संख्या 311 जो बद्धा के नाम दर्ज व स्वीकार हुआ है उसे बातिल व बेअसर शुन्य करार दिया जावे। श्रीमति इसरी के कोई जायन्दा पुत्र नही था उसके मात्र

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

तीन लडकिया क्रमशः नानगी, हुली अणची ही थी। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए असल अप्रार्थी बुद्धा द्वारा समस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम का इन्द्राज बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज करा लिया तथा उसके मरने के बाद लादू व लादू के मरने के बाद लक्ष्मण ने राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम का इन्द्राज लगातार हो रहा है जो गलत हो रहा है। लक्ष्मण लादू पुत्र बुद्धा के वारिसान है और बद्धा व चन्दर आपस में खास सगे भाई थे जिनके पिता का कि पिता का नाम कालू है तथा साविक राजस्व रिकार्ड से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण के पूर्वज कालू थे। राजस्व रिकार्ड सं.1882 में भी बुद्धा व चन्दर के हिस्से में दर्ज हैं तथा उसके पश्चात सं.1978,1992 के राजस्व रिकार्ड में दोनो की खातेदारी में दर्ज। परन्तु सं 1996 में सालिम विवादित आराजी केवल अकेले बुता की खातेदारी मे खिलाफ मोका खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ कानून दर्ज कर दी गई। विवादित आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की आराजी है तथा जिसमे प्रार्थी एवं तरंतीवी अप्रार्थीगण का 1/2 भाग एवं असल अप्रार्थी सं.1 लक्ष्मण का 1/2 भाग है तथा राजस्व रिकार्ड में भी कानून इसी अनुसार इन्द्राजात करने चाहिए थे। उपरोक्त आराजी हिन्दु संयुक्त परिवार की आराजी है जिसका अभी तक कोई बटवारा नही हुआ है तथा अबट आराजी हैं इस प्रकार सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर बहैसियत वारिस आज तक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की आराजी से अप्रार्थी सं.1 का कोई सम्बन्ध वो सरोकार किसी प्रकार का नही है और नाही कभी रहा है। उपरोक्तानुसार मिन तरतीवी अप्रार्थीगण विवादित आराजी के 1/2 भाग के खाते काश्तकार ह तथा अपने आपका खातदार काश्तकार धाषित कराने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में जो गलत इन्द्राजात किये है वो प्रार्थी दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। उक्त गलत इन्द्राजात की आड में असल अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं.2 व 3 के हक में बिना किसी हक वो अधिकार के आराजी खसरा नम्बर हाल 1500 रकबा 76 ऐयर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रमांक 20091563 दिनांक 18–03–2009 को विक्रय कर दिया जिसका कि अप्रार्थी सं.1 को सालिम आराजी का बयनामा कराने का कोई हक वो अधिकार नही था। उक्त बयनामा के आधार पर क्रेता अप्रार्थीगण के हक में इंतकाल संख्या–704 दिनांक 21–05–2009 व 705 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.2 व 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त बयनामा व इंतकाल मिन प्रार्थी के अधिकारो के विरूद्व बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबंदी है जिन्हे प्रार्थी अपने अधिकारो तक शून्य करार दिलाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी हाल खसरा नम्बर–1450 रकबा 1 ऐयर, 1451 रकबा 66 ऐयर, 1475 रकबा 69 ऐयर, 1479 रकबा 57 ऐयर, 1537 रकबा 85 ऐयर 1500 रकबा 76 वाके ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर से मिन प्रार्थी को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करें नाही किसी दीगर व्यक्तियों को रहन बयहिबा के मुन्तकिल करें तथा ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने, काटने लाने लेजाने में किसी प्रकार की रुकावट मजाहमत पैदा करें तथा रिकार्ड व मोके की स्थिति यथावत रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जर्य नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि आराजी खसरा नं0 1450, 1451, 1475, 1779, 1537 व 1500 वाके ग्राम भूगोर तहसील जिला अलवर पर स्थित है, वादी ने उक्त आराजी को गलत प्रकार से विवादित होना दर्ज करते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जबकी उक्त आराजीयात मिन प्रतिवादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसके बाबत वादी को वाद लाने का विधिक अधिकार नही है तथा वाद मय हर्जा खारिज किये जाने योग्य हैं प्रार्थना पत्र का जिमन संख्या 2 गलत है स्वीकार नही है, यह लिखना कतई गलत है कि वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के व्यक्ति हो तथा बल्कि वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य नहीं है, वादी ने वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र में भजनी, रामबल व राम प्रताप को पक्षकार बनाया है, जिनका स्वर्गवास पूर्व में ही वाद दायर करने से पूर्व हो चुका है, जिसकी वादी को जानकारी भी नही है, जिससे उसके द्वारा इस जिमन में दर्ज तथ्य स्वतः ही मिथ्या हो जाते है यदि उसे अपने परिवार के मृतक शख्सों की ही जानकारी नहीं है तो वह एक ही परिवार का सदस्य किसी प्रकार से हो सकता है, इसके अतिरिक्त वादी द्वारा दर्ज शजरें की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड पर नही है तथा परिवार के पुरुष सदस्य से ही शजरा आगे बढता है ना की महिला सदस्य के नाम से जिसके चलते वादी के वाद में दर्ज शजरें के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य नही है बल्कि वादी ने बिना पूरा नाम अंकित किये, बिना वल्दियत दर्ज किये मृतक व्यक्तिओं को पक्षकार बनाते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जो इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा मिन प्रतिवादी की कब्जे काश्त खेती की खातेदारी की आराजीयात को गलत प्रकार से विवादित होना दर्ज करते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जबकी वादी मूल खातेदार के विरुद्ध वाद लाने का विधिक अधिकारी नही है जिस आधार पर वाद खारिज किये जाने योग्य है, इसके अतिरिक्त इस चरण में मिलान क्षेत्रफल के बाबत जो तथ्य दर्ज किये है वे सरकारी रेकार्ड के अनुसार उसमें दर्ज तथ्यों की हद तक स्वीकार है। उपरोक्त आराजीयात के मूल खातेदार कालूराम थे

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

जिनके स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र चंदर व बुद्धा खातेदार हुऐ जिनका उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा था, लेकिन यह लिखना कतई गलत है कि उसके बाद से वादी व तरतीबी प्रतिवादी मौके पर लगातार काबिज हो तथा काश्त करते चले आ रहे हो बल्कि ना तो वादी व तर० प्रतिवादी उक्त अराजीयात के खातेदार है और ना ही मौके पर काविज है वल्कि मिन प्रतिवादी बतौर खातेदार काश्तकार मौके पर अरसे दराज से अपने बुजुर्गों स्व० युद्धा के समय से प्राप्त हुए खातेदारी अधिकारों के आधार पर काविज है। जिस आराजीयात से वादी अथवा तरतीबी प्रतिवादी का कोई वास्ता वो सरोकार नही है। यह सही है कि उक्त अराजीयात चंदर के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी इसीरी के नाम हुई, लेकिन यहां यह लिखना आवश्यक है कि उक्त ईसरी के स्वर्गवास के बाद उसका इन्तकाल बुद्धा के नाम से चढ गया था, जिन बद्धा के स्वर्गवास के बाद सपूर्ण आराजीयात का विरासत इन्तकाल उनके पुत्र लादू के नाम से चढा है। इस प्रकार से मिन प्रतिवादी जो कि स्व० लादु का पुत्र है। उनके स्वर्गवास के विरासत इन्तकाल चढ जाने के बाद मौके पर खातदारी काबिज है, जिस अराजीयात पर वादी अथवा तरतीबी प्रतिवादी का कोई कब्जा किसी भा प्रकार स नहीं है तथा वादी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। इसरी के मरने के बाद बुद्धा द्वारा चालाकी से इसरी का इन्तकाल स्वयं के नाम चढवा लिया हो तथा उक्त इन्तकाल संख्या 311 बातिल बेअसर व शुन्य करार दिये जाने योग्य हों बल्कि इसरी का विरासत इन्तकाल संख्या 311 दिनांक 17.02.1940 को भर कर प्रस्तुत किया गया था, जिसका मिलान दिनांक 02.07.1940 को किया गया तथा सन् 1940 में ही उक्त इन्तकाल दर्ज होकर तस्दीक किया गया था, जिसका राजस्व रेकार्ड में बुद्धा के नाम से अमल हो गया तथा बाद वफात बुद्ध मिन प्रतिवादी के पिता लादू के नाम से विरासत इन्तकाल तस्दीक किया जा चुका है तथा लादू के स्वर्गवास के बाद मिन प्रतिवादी के हक में विरासत इन्तकाल तस्दीक किया जा चुका है, इस प्रकार से मिन प्रतिवादी मौके पर बहैसीयत खातेदार काश्तकार काबिज है। यहां यह लिखना भी आवश्यक है कि जब ईसरी का स्वर्गवास हुआ था उस समय राज0 टेनेन्सी एक्ट भी प्रभाव में नही आया था उक्त एक्ट 1955 में लागू हुआ है। तथा वादी के द्वारा वाद टेनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है जो कानून विधि द्वारा वर्जित है तथा खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी के खानदान में पुत्रियों को अचल संपत्ती में हिस्सा देने का कोई प्रथा या रीति रिवाज नही है, जिसकेचलते इसरी की पुत्रीओं के नाम से उक्त आराजीयात का इन्तकाल तस्दीक नही हुआ था तथा प्रारंभ से ही पुत्रों में ही आराजीयात का इन्तकाल तस्दीक हो किया जाता रहा है। जो सभी प्रकार से सही व कानूनी प्रावधान तस्दीक किया गया है, जिसे वादी 75 वर्ष बाद चुनौती

उपखण्ड अधिकारी

देने का विधिक अधिकारी नही है। यह लिखना कतई गलत है कि वादी व तरतीबी प्रतिवादी इसरी के वारिसान हो तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी तथा प्रतिवादी के पूर्वज कालूराम हो बल्कि शजरे के मुताबित वादी नानगी के पुत्र हरवल का पुत्र है जो नानगी के पति के परिवार का सदस्य है तथा कालू के वारिसान की तारीफ में नही आता है. इसके अतिरिक्त वादी द्वारा दर्ज शजरें की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड पर नही है तथा परिवार के पुरुष सदस्य से ही शजरा आगे बढता है ना की महिला सदस्य के नाम से जिसके चलते वादी के वाद में दर्ज शजरे के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य नही है बल्कि वादी नानगी के पति के परिवार का सदस्य है तथा उसके द्वाराबिना पूरा नाम अंकित किये बिना वल्दियत दर्ज किये मृतक व्यक्तिओं को पक्षकार बनाते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जिसे भी स्पष्ट है कि वादी मिन प्रतिवादी के परिवार का सदस्य नही है तथा उसका वाद इसी आधार पर उसका वाद इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। यह सही है कि पूर्व में सवंत 1882 मे उपरोक्त बुद्धा व चंदर के नाम दर्ज थी लेकिन चंदर व उसकी पत्नी इसरी के स्वर्गवास के बाद उक्त अराजीयात का विरासत इन्तकाल मिन तरतीबी प्रतिवादी के दादा बुद्धा के नाम तस्दीक किया गया है तथा उसके बाद सं0 1996 से उक्त सालिम आराजी उनके नाम से ही चली आ रही है जो इन्तकाल विधि अनुसार सही तस्दीक किया गया है जिसके आधार पर बुद्धा व उनके बाद लादू तथा वर्तमान में मिन प्रतिवादी मौके पर बहैसीयत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा उक्त इन्तकाल को वादी चुनौती देने का अधिकार नही रखता है। यह लिखना कतई गलत है कि विवादित आराजीसंयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी हो तथा जिमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी का 1/2 भाग व प्रतिवादी का 1/2 भाग हो जिस अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक हो बल्कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं है और ना ही हिन्दू विधि से वर्जित होते है बल्कि उन पर हिन्द विधि लागू ही नही होती है जिसके चलते वादी इसरी की पुत्रियों के वारीसांन की हैसीयत से मिन प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी में से कोई अंश प्राप्त करने का अधिकारी नही है बल्कि वादी व प्रतिवादी मीणा जाति से संबंध रखते है जिन पर हिन्दू विधि लागू नही होती है तथा मिन प्रतिवादी के खानदान में पुत्रियों को अचल संपत्ती में हिस्सा देने का कोई प्रथा या रीति रिवाज नही है, जिसके चलते ईसरी की पुत्रीओं के नाम से उक्त आराजीयात का इन्तकाल तस्दीक नही हुआ था तथा प्रारंभ से ही पुत्रों में ही आराजीयात का इन्तकाल तस्दीक हो किया जाता रहा है। जो सभी प्रकार से सही व काननी प्रावधानों के अनुसार तस्दीक किया गया है, जिसे वादी 75 वर्ष बाद चुनौती देने का विधिक अधिकारी नही है। यह लिखना कतई गलत है कि विवादित

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी हो तथा जिसका कोई बंटवारा ना हुआ हो तथा मौके पर पक्षकार बहैसीयत काबिज होकर काश्त कर रहे हो तथा आराजीयात के 1/2 भाग से प्रतिवादी का कोई वास्ता तो सरोकार ना हो बल्कि वादी व प्रातवादागण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नही है और ना ही विवादित आराजी पर संयुक्त रुप से काबिज है तथा उसमें 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हो बल्कि उन पर हिन्दू विधि लाग ही नही होती है जिसके चलते वादी इसरी की पुत्रियों के वारीसांन की हैसीयत से मिन प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी में से कोई अंश प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा उक्त आराजीया पर मिन प्रतिवादी के बुजुर्गों के समय से ही उनके हक में इन्तकाल चढाया गया है तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार पुत्रिओं को अचल संपत्ती के बायत कोई अधिकार भी आयद नही थे, तथा वादी व प्रतिवादी मीणा जाति से संबंध रखते है जिन पर हिन्दू विधि लागू नही होती है तथा मिन प्रतिवादी के खानदान में पुत्रियों को अचल संपत्ती में हिस्सा देने का कोई प्रथा या रीति रिवाज नही जिसके चलते ईसरी की पुत्रीओं के नान से उक्त आराजीयात का इन्तकाल तस्दीक नहीं हुआ था तथा प्रारंभ से ही पुत्रों में ही आराजीयात का इन्तकाल तस्दीक किया जाता रहा है। जिसे सभी प्रकार स सहा व काननी प्रावधानों के अनुसार तस्दीक किया गया है तथा मिन प्रतिवादी ही अरसे दराज से अपने बुजुर्गों के समय से वहैसीयत खातेदार मौके पर संपूर्ण आराजीयात पर काविज है, जिसके चलते वादी मौजदा वाद के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित आराजीयात का 1/2 भाग का खातेदार धोषित किये जाने का अधिकारी नही है और ना ही 75 वर्ष बाद इन्द्राजात को चुनौती देने का विधिक अधिकारी है बल्कि वादी ना तो विवादित आराजी पर काबिज है और ना ही राजस्व रेकार्ड में वादी के बुजुर्गों का नाम दर्ज है इसके चलते वादी मूल खातेदार व मौके पर काबिज प्रतिवादी के विरुद्ध धोषणा व तकसीम का वाद लाने का विधिक अधिकारी नही है तथा वादी का वाद इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। यह लिखना कतई गलत है कि राजस्व रेकार्ड के इन्द्राजात् के आधार पर प्रतिवादी ने आराजीयात खसरा नं0 1500 रकबा 76 एयर को बिना हक वो अधिकार के विक्रय कर दिया हो बल्कि मिन प्रतिवादी मौके पर अपने खातेदारी अधिकारो के तहत बहैसीयत मालिक काबिज है, जिसे उक्त आराजीयात के बाबत हर प्रकार के हक हकूक काबिजाना मालिकाना उपयोग उपभोग बेचान बाबत प्राप्त है, जिन अधिकारों के आधार पर उसके द्वारा आराजीयात के एक हिस्से को विक्रय किया है तथा मौके पर शान्ती पूर्ण कब्जा खरीददार बेचान के बाद वर्ष 2009 में ही को सुपुर्द कर दिया है, जिस पर खरीददार बाद खरीद से ही बहैसीयत मालिक काबिज है, जिससे स्पष्ट है कि वादी ना तो

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

मौके पर काबिज है और ना ही उक्त अराजी से उसका कोई वास्ता है, वादी के द्वारा दिनांक 10.09.2014 की मिथ्या घटना अंकित करते हुए वर्ष 2009 के बयनामा उसके आधार पर वर्ष 2009 में चढे इन्तकाल तथा वर्ष 1940 में दर्ज इन्तकाल को चुनौती देते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है, जिसके चलते प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में किसी भी प्रकार से साबित नही है। तथा वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा मिथ्या तथ्यों को दर्ज करते हुए, कानूनी प्रावधानों के विपरीत मिन प्रतिवादी की खातेदारी की अराजीयात को गलत प्रकार से विवादित होना दर्ज करते हुए बिना किसी हक वो अधिकार के मूल वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस प्रार्थना के माध्मय से वादी इस चरण में वर्णित कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा वादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज किये जाने योग्य है। वादी व प्रतिवादी हिन्दू परिवार के सदस्य नही है जिसके चलते वादी का विवादित अराजीयात में कोई हक वो हिस्सा नही है तथा वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी व प्रतिवादी मीणा जाति से संबंध रखते है, जिन पर हिन्दू विधि लागू नही होती है, जिसके चलते वादी का विवादित अराजीयात में कोई हक वो हिस्सा नही है तथा वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा वर्ष 1940 में दर्ज इन्तकाल को चुनौती देते हुए टेनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जबकी जब ईसरी का स्वर्गवास हुआ था। उस समय राज0 टेनेन्सी एक्ट भी प्रभाव में नही आया था उक्त एक्ट वर्ष 1955 में लागू हुआ है, जिसके चलते वादी का वाद कानून विधि द्वारा वर्जित है तथा खारिज किये जाने योग्य है। मिन प्रतिवादी मीणा जाति से संबंध रखते है जिन पर हिन्दू विधि लागू नही होती है तथा मिन प्रतिवादी के खानदान में पुत्रियों को अचल संपत्ती में हिस्सा देने का कोई प्रथा या रीति रिवाज नही है, जिसके चलते ईसरी की पुत्रीओं के नाम से उक्त आराजीयात का इन्तकाल तस्दीक नही हुआ था तथा प्रारंभ से ही पुत्रों में ही आराजीयात का इन्तकाल तस्दीक हो किया जाता रहा है। जिसे वादी चुनौती देने का अधिकारी नही है। वादी द्वारा वर्ष 1940 में तस्दीक हुए इन्तकाल को 75 वर्ष बाद चुनौती दी गई है तथा वर्ष 2009 में तस्दीक इन्तकाल व बयनामा को भी चुनौती दी है, जिसके चलते प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र 212 राज0काश्त0अधि0 पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में वर्णित विवादित आराजी पैतृक आराजी है। पैतृक आराजी में सभी पक्षकारों का हक व हिस्सा निहित होता है। अप्रार्थीगण नें एकेले अपने नाम खातेदारी का इंतकाल गलत दर्ज कराया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

वकील अप्रार्थीगण नें अपने बहस में कथन किया कि, हिन्दु लॉ मीना जाति पर लागू नही होता है। बेटियों को हिस्सा देय नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागु हुआ है। और अप्रार्थीगण के नाम इन्तकाल 1940 में ही दर्ज हो गया था। प्रार्थीगण लगभग 80 वर्ष पश्चात वाद लेकर आये है। जिसका कोई उचित कारण अंकित नही किया है। प्रार्थीगण शुद्व हस्त से नही आये है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। वकील अप्रार्थीगण नें अपनी बहस की ताईद में DNJ2012(1)Raj Page no.357, DNJ2009(1)Raj Page no.340, DNJ2009(1)Raj Page no.390, DNJ2008(1)Raj Page no.206, DNJ 2012 SC Raj Page no.494, DNJ 2009 SC Raj Page no.618, DNJ2012 SC Raj Page no.1475, सम्मानीय न्यायिक द्रष्टांत पेश किये।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्मानीय न्यायिक द्रष्टांतो पर गौर किया। प्रार्थना पत्र 212 राज0काश्त0अधि0 के निर्णय से पूर्व प्रथम द्रष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति पर गौर करना होता है।

1. **प्रथम द्रष्टया केस :–** न्यायालय को सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर गौर कर यह देखना होता है,कि आया प्रार्थी का प्रथम द्रष्टया केस बनना पाया जाता है अथवा नही मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग संवत 2020 के अनुसार खसरा नं. 1055,1056,1057,1058,1129,1130 के लादुराम पुत्र बुद्वाराम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी सवंत 2991 खसरा नं. 412/1429, 430 पर बुद्वा पुत्र कालू मीना के नाम का अंकन है। तथा जमाबन्दी संवत 2069–72 ग्राम भूगोर खसरा नम्बर 1450,1451,1475,1479,1500,1537 पर अप्रार्थी लक्ष्मण पुत्र लादू मीना के नाम का अंकन है। संलग्न राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। दावे व साक्ष्य व सबूत के आधार पर मैरिट पर निर्णय किया जावेगा। इस प्रकार प्रथम द्रष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में नही पाया जाकर अप्रार्थी के हक में पाया जाता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से अप्रार्थी के प्रश्नगत आराजी पर रिकार्डेड खातेदार होने की पुष्टि होती है। रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के हक में पाया जाता है।
3. **ना पूर्ति क्षतिः–** पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

सकता है। प्रथम द्रष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के हक में साबित हो चुके है। नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी को ना होकर अप्रार्थी के पक्ष में पाई जाती है।

इस प्रकार तीनो बिन्दु अप्रार्थी के हक में साबित होने पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज0काश्त0अधि0 के संबंध में इस न्यायालय कें पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 09.10.2014 वावत विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1450,1451,1475,1479,1537,1500 वाके ग्राम भूगोर खारिज किया जाता है।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर